

ढ्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर
पीठासीन अधिकारी -श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :- 201/17 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :-

प्रार्थीगण:-

- 1.जेठाराम 2.पूनमाराम 3.रेखाराम 4.केसाराम 5.किशनलाल
 - 6.लालाराम पि. गोरधनराम 7.गवरी पत्नि गोरधनराम
- जाति जाट, निवासी शेरपुर, तहसील सेड़वा ।

बनाम

विप्रार्थीगण:-

- 1.मेगाराम पुत्र फूलाराम जाति विश्नोई
निवासी शेरपुर, बामड़ला, तहसील सेड़वा
- 2.तहसीलदार सेड़वा ।
- 3.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बामड़ला ।

वकील प्रार्थीगण :- श्री बाबूलाल जाणी

वकील विप्रार्थीगण:- श्री मोहनलाल खिलेरी



निर्णय

दिनांक 28.06.18

प्रार्थीगण जेठाराम पुत्र गोरधनराम, जाति विश्नोई, निवासी शेरपुर, बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की संखुक्त खातेदारी, कब्जासुदा खेत मौजा शेरपुर, तहसील सेड़वा जिला बाडमेर में खसरा नं. 791 रकबा 00.11 बीघा, खसरा सं. 792 रकबा 85.02 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते हैं। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 793 रकबा 48.19 बीघा भूमि मौजा शेरपुर में रास्ता दिया जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किये गये। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार सेड़वा को उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। वकील विप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थना पत्र एवं प्रारम्भिक आपतियां पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में भूमि समर्पण की जा चुकी है। अतः उसे जवाब व दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया जावे। वकील प्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।


पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प बामड़ला में पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित। विप्रार्थी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। विप्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंगन दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	793	48.19	बा.दो.	20 फीट	0.12	शेरपुर	मेगाराम वल्द फूलाराम, कौम विश्नीई, सा.देह खातेदार

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंगन आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 793 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।


सहायक कमिश्नर
(SDO) चौहटम

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दोगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।


प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) - (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित, नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल




सहायक कमिश्नर
(SDO) चौहटन

दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।


4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 28.06.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट/कैम्प बामडला में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दफ़तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।




(भूपेन्द्र कुमार यादव)
साहायक कलेक्टर एवं
उपसुपंड अधिकारी चौहटन

फर्द मौका

आज दिनांक 04/7/17 को माननीय न्यायालय सहायक -
 कालकटर चौहटन के वा. आ. सं. 20/11) अनवान जेठाराम के
 मेगा राम अर्गुन धारा 25/A RT Act के अन्तर्गत 490
 दिनांक 03/7/17 को सीमाना तहसीलदार के अन्तर्गत 490
 243 दिनांक 3/7/17 की पालना में हमकाह हाका पटवारी के
 न कोषविभाग के आम ब्रोचर में मौके पर पहुंचा।
 मौके पर पहुंच कर जमीन जेठाराम कोष वि० जेठाराम कोष
 आरि जाट मिवाली ब्रोचर के खेप खेप 792 में आने जाने
 के लिए रास्ता दिये जाने की मौका दिखने की जांच की
 गई। जो निम्न उपर में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित है -

S. N.	नाम उम	प्रोपेटर का नाम उपना	खसत नंकर	खसत बीछा में	गाहने की खेप कीट में	समाविष्ट दस्तावेज का नंकर	उप पट	समाविष्ट अमि की कीमत	अधिक की कीमत
1.	ब्रोचर	मेगा राम बद्र पूजा कोष विप्रकोई सा. ईए खोरेदार	793	48-9	20 फीट 0-12	31600/-	37920/-	आ. 20	

उपर प्रस्तावित अमि के अलावा जमीन को खेप
 792 में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
 प्रस्तावित रास्ते की अमि में कोई कीमती पेड़ व मकान आदि नहीं
 आते हैं। प्रस्तावित रास्ते की अमि जो संयोजन नक्शे में अंग
 लागू दर्शाई गई है। सही- विकल्प है।
 फर्द मौके पर जेठाराम की जाकर उपस्थित को पटवार सुनाई
 गई एवं अंगूठा निधान/हस्ताक्षर करवाए गए।

सहायक कलक्टर
 (SDO) चौहटन

[Signature]
 ज० कामडगा

[Signature]
 ज० कामडगा

[Fingerprint]
 निरंजन
 (ज० जोरखराह)
 मालका
 (ज० डालखराह)
 अर्जुनराज
 (ज० जेठाराम)

इ. 20/12/17
 (ज० जोरखराह)
 (ज० जोरखराह)
 राजेंद्र कुमार
 (ज० जगमालराह)

[Signature]
 (इ. 20/12/17)

[Signature]
 (नू. अ.) सेडवा

